द्वितीय काउन्सिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया के संबंध मे समान्य निर्देश

- आवंटन पत्र डाउनलोड करने के पश्चात् समस्त आवंटित / पुनरावंटित अभ्यर्थी दिनांक 03.5.2019 तक संबंधित नोडल सेन्टर पर रिपोर्ट करेंगे।
- प्रथम काउन्सिलिंग के माध्यम प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोड़कर नये अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समस्त शैक्षणिक / जाति प्रमाण–पत्र मूलरूप मे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति मे उनके प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।
- प्रथम काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें द्वितीय काउन्सिलिंग के माध्यम से पुनरावंटन हुआ है, पूर्व नोडल सेन्टर द्वारा निर्गत फीस / अभिलेखो के सत्यापन संबंधी रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग से पुनरावंटित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय संबंधित नोडल सेंटर पर शिक्षण शुल्क की अन्तर की धनराशि (यदि शिक्षण शुल्क अधिक है) का बैंकड्राफ्ट जो **DIRECTOR GENERAL, MEDICAL EDUCATION & TRAINING, U.P. PAYABLE AT LUCKNOW** के नाम देय हो, जमा किया जायेगा तथा यदि कालेज का शिक्षण शुल्क कम है, तो उस स्थिति मे अन्तर की धनराशि कालेज की सिक्योरिटी / छात्रावास शुल्क मे समायोजित की जायेगी।
- द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को आवश्यक मूल प्रमाण–पत्र व आवंटित कालेज की ट्यूशन फीस का बैंक ड्राफ्ट जो **DIRECTOR GENERAL, MEDICAL EDUCATION & TRAINING, U.P. PAYABLE AT LUCKNOW** के नाम देय होगा, नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा।
- **प्रथम काउन्सिलिंग से आवंटित सीट यदि द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग के माध्यम से पुनः आवंटित हो गयी है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को संबंधित नोडल सेन्टर पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति मे आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं पूर्व की आंवटित सीट रिटेन (Retain) नही रहेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।**
- संबंधित नोडल सेन्टर पर प्रवेश प्रकिया पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी अपनी योगदान आख्या संबंधित कालेज मे यथाशीघ्र प्रस्तुत करेंगे।
- राजकीय मेडिकल कालेजो / संस्थानों / विश्वविद्यालयों में आवंटन प्राप्त समस्त अभ्यर्थी आवंटित कालेज / संस्थान / विश्वविद्यालय मे अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।
- रिट याचिका संख्या–सिविल 267 / 2017 दार–उल–सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट बनाम मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया व अन्य मे पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 9.5.2017 के अनुसार द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग समाप्त होने के उपरांत प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा सीट रिक्त नहीं की जा सकती है।